कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), खैरथल–तिजारा

क्रमाकः– रसद /एफ.पी.एस. नियुक्ति/विज्ञप्ति/2026/149 दिनांकः :– 27/01/2026

विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य विभाग के पत्रांक एफ 17 (1) खा. वि. /विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं एफ 17(5) खा. वि./न्याय/2025 जयपुर दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देशों के तहत जिले में उचित मूल्य की नवसृजित दुकान के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों तथा संस्थाओं यथा सहकारी समितियों, महिला समूह आदि से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खंड 3 (1) के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं

आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय से 100 रुपये का भारतीय पोस्टल आर्डर जमा कराकर प्राप्त किया जा सकेगा आवेदन पत्र विहित रिति से भरे जाकर दिनांक 01.02.2026 से 15.02.2026 तक कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में पात्रता संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति व घोषणा पत्र के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा में जमा करवाए जा सकेंगे। नवसृजित उचित मूल्य दुकान का विवरण निम्नानुसार हैः–

उपखण्ड/ तहसील/ ब्लॉक का नाम	क.सं.	ग्राम पंचायत/वार्ड	वितरण स्थल	रिक्त/ नवसृजित	आरक्षण की स्थिति
किशनगढ–बास	01	ईस्माईलपुर	ईस्माईलपुर	रिक्त	–
	02	धमुकड	धमुकड	रिक्त	–
कोटकासिम	03	जकोपुर	जकोपुर	रिक्त	महिला आरक्षित
	04	कान्हडका	कान्हडका	रिक्त	–
	05	कान्हडका	कान्हडका	रिक्त	–
	06	तिगांवा	तिगांवा	रिक्त	–
	07	जोडिया	जोडिया	रिक्त	महिला आरक्षित
तिजारा	08	गहनकर	गहनकर	रिक्त	–
	09	हसनपुर	हसनपुर	रिक्त	–
	10	मायापुर	मायापुर	रिक्त	महिला आरक्षित
मुण्डावर	11	जिन्दोली	जिन्दोली	रिक्त	महिला आरक्षित
	12	रानोठ	रानोठ	रिक्त	–
	13	रसगण	रसगण	रिक्त	–
	14	जागीवाडा	जागीवाडा	रिक्त	–
	15	सोरखाकलां	सोरखाकलां	रिक्त	–
	कुल स्थान –15, अनारक्षित दुकाने–11, महिला हेतु आरक्षित दुकाने –4				

उपरोक्त रिक्तियो के संबंध मे विभागीय पत्रांक एफ 17(1) खा.वि. /विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आंवटन के दिशा निर्देशो मे वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 के दिशा निर्देश तथा नवसृजित/रिक्त उचित मूल्य की दुकान के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय खैरथल–तिजारा मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की पात्रताऐं निम्नानुसार होंगी–

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदन उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जाएगी, जिसमें उसके उचित मूल्य की दुकान स्थित है। उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य दुकान की आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
2. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए यदि उचित मूल्य की दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक से स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा यदि आवेदक कंप्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा पत्र भी लिया जावेगा कि चयनित होने के छह माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा, वह व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा
3. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 1 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकान दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा परंतु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा हो जाती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाए।
4. आवेदक को दुकान आवंटन के उपरांत जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 गुना 20 बराबर 200 फीट न्यूनतम होना आवश्यक है इस वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिंट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।

5. आवेदक द्वारा निम्न बिंदुओं को अंकित करते हुए एक घोषणापत्र लिया जावेगा–
   I. आवेदक पूर्व में ईसी एक्ट के तहत दडित नही हुआ है ।
   II. आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
   III. आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता पिता पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
   IV. आवेदक को विधिक रुप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
   V. आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि नही है।
   VI. आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित है चाल चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है
   VII. आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नही होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।
6. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/– रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वंय सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000/– रूपये होना आवश्यक है।
7. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वय सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव के आंकलन के निम्न आधार होंगे।
   I. समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो
   II. समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक मे खाता खुला हो।
   III. समूह के सदस्य तीन वर्षो से आंतरिक लेने देन मे संलग्न हो।
8. आवेदक /समितियो /समूह/निकाय मे सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओ को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत् प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
9. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (बृहतर क्षे.त्रीय बहुउददेशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
10. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सहकारी समिति/ लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले मे) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर मे कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।
11. आवदेक द्वारा दी गई सूचनाए गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

उक्त रिक्तियों के सम्बन्ध में अनुकम्पात्मक नियुक्ति अथवा रिवीजन का प्रकरण होने पर नियुक्ति सम्बन्धित न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगी तथा ऐसी स्थिति में रिक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी । उक्त रिक्तियो की संख्या मे कमी / बढौतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियो को भरने / ना भरने के संबंध मे कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

जिला कलक्टर (रसद)
खैरथल–तिजारा

क्रमाकः– रसद /एफ.पी.एस. नियुक्ति/विज्ञप्ति/2026/150-161 दिनांकः 27/01/2026

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
3. उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
4. ए0सी0पी0 खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेवसाईट **food.raj.nic.in** पर अपलोड करावें।
5. माननीय सांसद महोदय, अलवर।
6. माननीय विधायक महोदय समस्त जिला खैरथल–तिजारा।
7. समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला खैरथल–तिजारा।
8. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त खैरथल–तिजारा।
9. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका समस्त खैरथल–तिजारा।
10. प्रबंधंक राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम अलवर।
11. सहायक निदेशक जिला सम्पर्क कार्यालय खैरथल–तिजारा को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रो मे निःशुल्क प्रकाशन करावें।
12. रक्षित पत्रावली

27/01/26

जिला कलक्टर (रसद)
खैरथल–तिजारा